न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 420-एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-12-12 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस, जिला जबलपुर प्रकरण कमांक 354/बी-103/धारा 33/2011-12.

संजीव मारवाह पुत्र स्व. ए0के0 मारवाह
निवासी 85-ए, नर्मदा रोड,
जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स
जिला जबलपुर
2- दीपक अरोरा, पुत्र स्व0 के0एल0 बिल्ला
निवासी 432, साउथ सिविल लाइन्स,
जबलपुर ---- अनावेदकगण

श्री संजीव मारवाह, आवेदक - स्वयं
श्री सीताराम शुक्ला, अधिवक्ता अनावेदक कमांक 2.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 22-12 - 2015 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 354/बी-103/धारा 33/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 14-12-12 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1956 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा)
के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा दिनांक 08-1-2010 को निष्पादित

इकरारनामा जो 100/– के स्टाम्प पर निष्पादित है को उचित मुद्रांकित कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा प्रश्नाधीन इकरारनामा पर 3,01,500/– रूपये की स्टाम्प डयूटी प्रभार्य मानते हुए शेष कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 3,01,400/– तथा शास्ति राशि रूपये 3,01,400/ कुल राशि रूपये 6,02,800/– 30 दिवस में जमा कराने के आदेश अनावेदक कमांक 2 को दिए । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अनावेदक कमांक 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अनुबंध जिसमें अनावेदक कमांक 2 एवं आवेदक के मध्य हुए इकरारनामा जो 100/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित है को उचित मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों तथा स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि प्रश्नाधीन अनुबंध पर कब्जा रहित अनुबंधपत्र है और इस कारण से उन्होंने मुद्रांक शुल्क सारणी की अनुसूची 1 क, के अनुच्छेद 5(ड) (2) के अनुसार इकरारनामे में उल्लिखित बिक्री प्रतिफल की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्युटी प्रभार्य माना है और इतनी की शास्ति आरोपित की है । आवेदक का यह कहना कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को बाजार मूल्य के आधार पर स्टाम्प डयूटी लेना चाहिए तथा उसके 10 गुना राशि शास्ति के रूप में नी जाना चाहिए । स्टाम्प एक्ट के धारा 40 में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को पांच रूपये से लेकर कमी वाले भाग की रकम से 10 गुना

तक शास्ति आरोपित करने के संबंध में विवेकाधिकार दिया गया है उक्त धारा में 10 गुना शास्ति आरोपित करना अनिवार्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन इकरारनामे की सत्यता की जांच के संबंध में निकाला गया यह निष्कर्ष उचित है कि उक्त स्टाम्प कब क्रय किया गया और उस पर निष्पादन दिनांक क्या इसकी उन्हें जांच नहीं करना है उन्हें केवल प्रश्नाधीन इकरारनामे में वर्णित अभिवर्णन के आधार पर मुद्रांक शुल्क का विनिश्चयन करना है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस जिला जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–12 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर